के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से कोई सफलता नहीं मिली है ;

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या भविष्य में सरकार अपनी वर्तमान कार्य योजना में कुछ परिवर्तन करने के बारे में विचार रखेगी ?

**कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) जी हां ।

(ख) हालांकि सर्वेक्षण में लोगों के स्वास्थ्य और पोषाहार स्तर पर विकास कार्यक्रमों के प्रभाव की जांच की जानी थी लेकिन जांच शरीर के वजन तथा ऊंचाई तक ही सीमित रह गई। इस सर्वेक्षण में ऐसे प्रश्नों जैसे क्या विद्यमान खून और विटामिन की कमी को दूर करने में भी सुधार हुआ था एवं क्या अस्वस्थता दर और शिशु मृत्यु दर में परिवर्तन हुआ है, का उत्तर नहीं मिल सका । इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में सफलता नहीं मिली है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना**

2811. **श्री राम जेठमलानी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अनेकों बड़े औद्योगिक घरानों ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु अनेकों परियोजनाएं सरकार के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस-किस बड़े औद्योगिक घरानों ने कौन-कौन सी परियोजनाएं सरकार को अगस्त, 1988 तक भेजी हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने के समय इस क्षेत्र में कार्यरत लघु उद्योगों के हितों के संरक्षण का ध्यान रखेगी, यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) मैसर्स जुआरी एग्रो केमिकल्स लि., गोआ ने हिमाचल प्रदेश में स्थित सिरमौर जिले में खुंगी, शतावर आदि की खेती करने और वहां प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । यह 100% निर्यात-उन्मुख यूनिट होगा और इस प्रस्ताव में मैसर्स पिल्लसबरी कम्पनी, संयुक्त राज्य अमेरीका के साथ विदेशी सहयोग अन्तर्ग्रस्त है ।

(ग) सरकार की नीति हमेशा यथा-वश्यक लघु उद्योगों के लिए कुछ वस्तुएं आरक्षित कर इनके हितों की सुरक्षा करने की रही है ।

**बंधुआ मजदूरों को सहायता**

2812. **श्री राम जेठमलानी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने से लेकर उन्हें पूर्ण रूप से बसाने के बीच की अवधि के दौरान उन्हें जीवनयापन हेतु सहायता देने की कोई योजना बनायी है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ख) मजदूरों को बंधुआ बनाकर रखने के आरोप में गत तीन वर्षों के दौरान अलग अलग वर्ष में कितने लोगों को पकड़ा गया और कितनों को दंड दिया गया ?

श्रम मंत्री ( श्री बिंदेश्वरी दुबे ) : (क) बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अनुसरण में, प्रत्येक बंधुआ श्रमिक को उसे बंधुआ कार्य से मुक्त कराये जाने के तुरन्त बाद 500/-रु० की तत्काल राशि दिया जाना आवश्यक है। मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की तत्काल आवश्यकताओं जिसमें उन्हें पुनर्वासित किया जाना शामिल नहीं है, को पूरा करना इसका उद्देश्य है।

(ख) राज्य सरकारों (उत्तर प्रदेश को छोड़कर) से प्राप्त सूचना के अनुसार, बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के विभिन्न उपबंधों के अधीन 833 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। वर्ष वार हिरासत का रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

**IRDP Beneficiaries**

2813. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state the total number of families assisted under the IRDP during the last five years and the financial assistance provided to them?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JANARDHANA POOJARY): During the last five years, *i.e.*, from 1983-84 to 1987-88 under IRDP 187.22 lakh families have been assisted. These include 42.71 lakh old families assisted between 1985-86 and 1987-88. During this five year period budgetary resources of Rs. 2660.21 crores have been utilised and the Term Credit of the order of Rs. 4551.37 crores have been mobilised by the financial institutions.

**राशन की दुकानों पर राशन का समय पर सप्लाई न किया जाना**

2814. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में बनी दिल्ली की उचित दर दुकानों के मालिकों की एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दिल्ली नागरिक आपूर्ति विभाग पर कतिपय गम्भीर आरोप लगाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उपभोक्ताओं में वितरित की जाने वाली सामग्री समय से दुकानों पर नहीं भेजी गयी ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और क्या किसी पृथक अभिकरण द्वारा कोई जांच करायी गयी, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी०एस० बेठा) :** (क) से (ग) दिल्ली, प्रशासन ने कहा है कि उन्हें दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उचित दर की दुकानों को विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं अर्थात् गेहूं, चावल तथा लैवी चीनी की देरी से आपूर्ति करने के बारे में उचित दर की दुकानों की एक एसोसिएशन से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में लगभग 3400 उचित दर की दुकानों को हर महीने इन वस्तुओं की 80,000 मी० टन मात्रा की आपूर्ति की जाती है। सामान्यतया आपूर्ति निश्चित तारीख (तारीखों) तक पूरी कर ली जाती है। कभी-कभी इतने बड़े आकार के इस कार्य में विभिन्न कारणों, जैसे ढुलाई संबंधी समस्याओं, शहर में यातायात संबंधी रोकों, आर्थिक समस्याओं आदि के कारण देरी हो जाती है। दिल्ली प्रशासन द्वारा इस तरह की समस्या दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा भारतीय खाद्य निगम के साथ पाक्षिक बैठकों में निपटा ली जाती हैं। दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि वे ऐसी देरियों को कम से कम करने के लिए वाहनों की संख्या में वृद्धि को तथा अतिरिक्त कर्मचारियों को काम पर लगाएं।